

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

// आदेश //


भोपाल दिनांक 6-6-18

क्रमांक एफ 44-11/2016/20-2: प्रदेश के मान्यता प्राप्त डी.एल.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित करने वाली अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए शुल्क का निर्धारण करने हेतु दिनांक 25.05.2018 को प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की अनुशासनानुसार राज्य शासन एतद द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों के लिए वर्ष 2018-19 में निर्धारित शुल्क पुर्वानुसार निम्नवत निर्धारित करता है।

क्र.	श्रेणी	निर्धारित शुल्क
1.	भोपाल, इन्दौर, खालियर एवं जबलपुर में स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	रु0 35,000/- प्रति छात्र, प्रतिवर्ष
2.	उक्त शहरों के अतिरिक्त अन्य नगर निगम वाले मुख्यालयों में स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	रु0 32,500/- प्रति छात्र, प्रतिवर्ष
3.	शेष स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	रु0 30,000/- प्रति छात्र, प्रतिवर्ष

उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क पृथक संदेश होगा। डी.एल.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में निर्धारित शुल्क प्रतिवर्षानुसार ही देय होगा।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(कलावती उड़िके)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 6-6-18


क्रमांक एफ 44-11/2016/20-2

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान. संत्री / राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. आयुक्त, लोक शिक्षण / आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
6. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
9. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड, भोपाल
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण / उपायुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र.
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश
12. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।